न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 02/2022 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959
GCMS No. 2022/61

मैसर्स श्री बीकानेर फिटनेस सेण्टर जरिये पार्टनर श्री हेमन्त शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा निवासी एम एस कॉलेज के सामने, अनाथालय के पीछे, बीकानेर।

— अपीलान्ट

बनाम

नगर विकास न्यास बीकानेर जरिये सचिव महोदय।

— रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री ऋतुराज तंवर — अभिभाषक अपीलांट
श्री दाऊलाल हर्ष — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 20.04.2022

यह अपील राजस्थान राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 90—क(2) के अन्तर्गत नगर विकास न्यास बीकानेर के आदेश दिनांक 11.04.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि —

1— वादग्रस्त भूमि वाके चक 1 बीएसएम पटवार हल्का चकगर्बी तहसील बीकानेर में स्थित है। उक्त विवादित भूमि को अपीलांट मैसर्स श्री बीकानेर फिटनेस सेण्टर के लिये उसके पार्टनर हेमन्त शर्मा ने भूमि के मालिक भंवरलाल पुत्र श्री धन्नाराम जाट निवासी बीछवाल बीकानेर से जरिये रजिस्टर्ड लीजडीड दिनांक 20.11.2018 को 5 वर्ष के लिए किराये पर लिया हुआ है। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 90—क एवं The Rajasthan Urban Improvement (Sealing and Unauthorised Improvement) Rules, 2011 के अधीन न्यास को प्रदत्त कानूनी शक्ति के अधीन भूमि/भवन मालिक द्वारा किये गये एवं किये जा रहे अप्राधिकृत सुधार को सील करने का आदेश

संभागीय आयुक्त बीकानेर

पारित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री ऋतुराज तंवर ने अपनी बहस में कथन किया है कि नगर विकास न्यास बीकानेर ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व बिना किसी प्रकार की पत्रावली का संधारण किये, केवल मात्र पटवारी द्वारा इकतरफा तौर पर तैयार की गई रिपोर्ट पर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना सीधे ही सील करने के आदेश प्रदान कर दिए। आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनायी गई। वादी फर्म द्वारा राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग द्वारा फिटनेस सेंटर के लिये निर्धारित सभी मानकों व पात्रताओं के तहत एवं सभी आवश्यक शर्तों की पालना करते हुए, लाखों रूपये की मशीने लगाकर फिटनेस सेंटर का विधिवत संचालन किया जा रहा है। नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा दिनांक 12.04.2022 को सुबह 8 बजे अपीलांट के कार्यस्थल को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के बिना नोटिस दिए व बिना सुने सीज एवं सील कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 11.04.2022 आस—पास के लोगो द्वारा रंजिशवश झूठी शिकायत की जाने के कारण दबाव में पारित किये हैं, जो प्रथमतः काबिले खारिज है।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट श्री दाऊलाल हर्ष ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट ने एक दावा सिविल न्यायालय में भी पेश कर रखा हैं, जिस पर नगर विकास न्यास बीकानेर ने जवाब दे दिया है। यह भूमि आवासीय है, जिसका वाणिज्यिक उपभोग किया जा रहा है। सिविल न्यायालय बीकानेर ने अपीलांट की अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.04.2022 को खारिज कर दिया। नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा पूर्ण विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए सील करने की कार्यवाही की है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि वाके चक 1 बीएसएम पटवार हल्का चकगर्बी तहसील बीकानेर में स्थित है। प्रकरण में नगर विकास न्यास द्वारा विधिसम्मत प्रक्रिया नहीं अपनायी गई है। अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, जिससे नैसर्गिक न्याय और 'दूसरे पक्ष को भी सुनो (Audi Alterm Partem) ' सिद्धांत की अवहेलना हुई है। सचिव नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2022

संभागीय आयुक्त बीकानेर

अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निम्नलिखित निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि–

- अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत आदेश पारित करें।
- अपीलांट को अपने वर्तमान कार्यस्थल मैसर्स श्री बीकानेर फिटनेस सेंटर से स्थान परिवर्तन की दशा में पर्याप्त समय दिया जावे।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर